

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, फरवरी 14—फरवरी 20, 2016, शनिवार/माघ 25— फाल्गुन 1, 1937
No. 5] NEW DELHI, FEBRUARY 14—FEBRUARY 20, 2016, SATURDAY/MAGHA 25— PHALGUNA 1, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक भर्ती नियम, 1996 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ अनुवादक	6* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनाधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहे हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का अनुभव हो। टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और वांछनीय अनुभव है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा									
11	12	13									
लागू नहीं होता	समूह ' ' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- <table border="1"> <tr> <td>1.</td><td>अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड</td><td>अध्यक्ष</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>वैज्ञानिक 'घ'/ अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड</td><td>सदस्य</td></tr> </table>	1.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	अध्यक्ष	2.	निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	3.	वैज्ञानिक 'घ'/ अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	अध्यक्ष									
2.	निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य									
3.	वैज्ञानिक 'घ'/ अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य									

[फा. सं. 23/28/2009-सीजीडब्ल्यूबी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, Junior Hindi Translator Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Junior Translator Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and the Pay Band and Grade Pay/Scale of pay.—The number of post, its classification and Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age, limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,-

- (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade/Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	6* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'B'), non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300-34800 +Grade Pay Rs.4200	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment : whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree	Not applicable	Two years	By Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from offices of the Central Government- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent /

level; OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognised University in any subject other than English or Hindi with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission / Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission / Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission / Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the require experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			cadre department; and “possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.
---	--	--	---

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of: 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman. 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member 3. Scientist 'D' / Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 23/28/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम ब्यूरो डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड 'ख' भर्ती नियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्य के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए हों या करने से लोप किए गए हो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम ब्यूरो में डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड 'ड' के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम ब्यूरो (डाटा प्रोसेसिंग सहायक, ग्रेड 'ड' भर्ती नियम, 2016) है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड 'ड'	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रुपये और ग्रेड वेतन 4600/-रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	* आयु ; नहीं शैक्षिक अर्हताएं; हां प्रोन्नत अभ्यर्थी के पास वह शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए जो दिए हुए पद के लिए भर्ती नियम के अनुसार सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी के लिए अपेक्षित है, अर्थात् जो इस अनुसूची के स्तंभ (II) के अधीन प्रतिनियुक्ति के लिए विहित है।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रोन्नति : डाटा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड- 'घ' जिसने वे.बैं. 2 (9300-34800) रु.-4200 ग्रेड वे. के साथ में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और प्रोन्नत पद की सुसंगत सेवा क्षेत्र में 4 – 8 सप्ताह का सफल प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति:- 1. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो - अध्यक्ष 2. निदेशक/संयुक्त निदेशक/ (ई.डी.पी.)/ ई.डी.पी. प्रबंधक - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, श्रम ब्यूरो - सदस्य 4. श्रम और रोजगार मंत्रालय, आर्थिक और सांख्यिकी विज्ञान खण्ड के भारसाधक अवर सचिव - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसी कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति:

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी:

(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी

(ii) मूल काडर/विभाग से नियमित आधार पर, पीबी 2 रुपये 9300-34800 रुपये 4200 ग्रेड पे के साथ नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा दी हो या उसके समतुल्य हो; और जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो:-

अनिवार्य:

कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरी/कम्प्यूटर इंजीनियरी में तकनीकी/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर तकनीकी/ कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी/सूचना तकनीकी में स्नातक

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--

[फा. सं. ए-12018/6/2009-ईएसए(एलबी)]

निशा गौड़, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R. 25.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Labour Bureau Data Processing Assistant Grade ‘B’ Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Processing Assistant Grade ‘E’ in the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, namely: -

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Labour Bureau (Data Processing Assistant, Grade ‘E’) Recruitment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and scale of pay.** - The number of the said posts, its classification and the pay band and grade pay attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** - No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage, and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection or Non-Selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Processing Assistant Grade 'E'	1* (2016) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial	PB 2: Rs. 9300-34800 +Grade Pay Rs. 4600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Age: No Educational Qualification: Yes. Promotee candidate should possess the educational qualification as required for a direct recruit candidate as per Recruitment Rule for the given post i.e., as prescribed for deputation under column (11) of this schedule.	Not applicable	By Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Data Entry Operator Grade 'D' in PB 2 (Rs.9300-34800) with Grade pay of Rs. 4200 with 5 years' regular service in the grade and have successfully completed training of 4-8 weeks in the relevant field of duties of the promotional post. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an	Group 'B Departmental Promotion/Confirmation Committee :— (1) Director General, Labour Bureau - Chairman (2) Director//Joint Director(EDP)/EDP Manager - Member (3) Administrative Officer, Labour Bureau -Member (4) Under Secretary in charge of Economic and Statistical Analysis Section, Ministry of Labour and Employment - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation:

(a) Officers under the Central Government:-

(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band 2 Rs. 9300-34800 with Grade pay Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

Master's degree in Computer Applications/ Information Technology/ Computer Science of a recognised University/Institute, or

Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Computer Engineering/ Computer Science/Computer Technology/ Computer Science and Engineering/ Information Technology from a recognised University/Institute.

Note 1: The departmental officials in the feeder category shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications..

Note 3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of

pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
---	--	--

[F. No. A-12018/6/2009-ESA(LB)]

NISHA GAUR, Under Secy.